अधिस्चना

अधिसूचना संख्या- 01/2024/ निर्माण

दिनांक 11.07.2024

पश्चिम मध्य रेलवे के निर्माण विभाग में सर्वें, भूमि अभिलेख का अपडेशन व राज्य सरकार की एजेंसी से समन्वय कर भूमि अधिग्रहण संबंधी कार्यों आदि के लिए राज्य सरकार के राजस्व विभाग के योग्य एवं इच्छुक सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों का संविदा के आधार पर "Consultant (Land Matters)" के रूप में पुर्ननियोजन के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं:-

आवेदन प्रारंभ होने की तिथि	11.07.2024
आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि	26.07.2024

1. पुर्निनियोजन पूर्णतः संविदा के आधार पर अनुबंध की तिथि से 01 वर्ष तक के लिए अथवा आवेदक की उम्र 65 वर्ष होने तक अथवा उक्त योजना लागू रहने तक, जो भी पहले हो, लागू रहेगी।

2.रिक्तियाँ- सीधी, खजुराहो व कोटा प्रत्येक के लिए 01 पद,

पदनाम जिससे आवेदक सेवानिवृत्त हुए हो	राजस्व अधिकारी
पटवारी/रेवेन्यू इंस्पेक्टर	03
क्ल पद	03

नोट-

1.रेलवे के परियोजनाओं के स्थान पर रहने वाले एवं वहाँ से सेवानिवृत्त कर्मचारी को प्राथमिकता दी जाएगी।

2.3परोक्त पैरा 2 में अंकित पद प्रोजेक्ट की आवश्यकता/प्राथमिकता के अनुसार परिवर्तनीय होगे।

3.चयनित अभ्यर्थियों की पदस्थापना आवश्यकतानुसार किसी भी प्रोजेक्ट के लिए की जा सकती है।

3.आयु सीमा- अधिसूचना जारी होने की तिथि को आवेदक की आयु 65 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

4.आवेदकों की पात्रता-

राज्य सरकार के राजस्व विभाग के (पैरा 2 में अंकित पदो से) सेवानिवृत्त अधिकारी/ कर्मचारी, जिन्हें भूमि के सर्वें, भूमि अभिलेख का अपडेशन आदि कार्यों का पर्याप्त अनुभव हो।

सेवा से हटाए गए/बर्खास्त/अनिवार्य सेवानिवृत्त कर्मचारी आवेदन करने के पात्र नहीं होंगे।

5. आवेदन की प्रक्रिया-



ा.आवेदन निर्धारित प्रोफार्मा (एनेक्चर ए, बी, सी एवं डी) में ही स्वीकार किया जाएगा, जो पूरी तरह से भरे जाने चाहिए तथा आवेदन पत्र के साथ, सेवानिवृत्त कर्मचारी का नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटाग्राफ, अंतिम वेतनपर्ची, आधार कार्ड, पैन कार्ड, सेवा प्रमाण पत्र एवं पेंशन पेमेंट आर्डर की स्व सत्यापित प्रति (Self attested Copy) संलग्न किया जाना आवश्यक होगा। आवेदन तथा उसके संलग्नक की स्कैन्ड कापी ई-मेल spohqcadre@gmail.com पर ई-मेल की जानी है एवं मूल आवेदन प्रमुख मुख्य कार्मिक अधिकारी, महाप्रबंधक कार्यालय, पश्चिम मध्य रेल, जबलपुर-482001 के कार्यालय में दिनांक 26.07.2024 तक डाक द्वारा भी आवश्यक रूप से प्राप्त हो जाना चाहिए। विलम्ब से प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।

- 2. स्क्रीनिंग के समय पैरा 5 (1) में उल्लेखित दस्तावेजों की मूल प्रति स्क्रीनिंग कमेटी के समक्ष प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।
- 3.अपूर्ण आवेदन अथवा आवश्यक दस्तावेजों के बगैर प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।
- 4.एनैक्चर "सी" के स्थान पर सेवानिवृत्ति के तीन वर्ष पूर्व के APAR (प्रत्येक वर्ष भरे जाने वाले गोपनीय रिपोर्ट) जिसमें सत्यनिष्ठा संबंधी प्रविष्टि दर्ज की गई हो. भी संलग्न किया जा सकता है।
- 5.आवेदन प्रक्रिया संबंधी जानकारी के लिए हेल्प डेस्क नं. <u>7701082667(between 10.00</u> AM to 6.00 PM) है। 6. मासिक वेतन-
- 1.पूरे संविदा काल में नियत मासिक पारिश्रमिक वेतन प्रदान किया जाएगा। मासिक पारिश्रमिक देतन की गणना पुर्ननियोजित सेवानिवृत्त कर्मचारी के अंतिम आहरित वेतन (मूल वेतन डी.ए.) से पेंशन कम कर निर्धारित की जाएगी। निर्धारित वेतन पूरे संविदा काल में अपरिवर्तनीय रहेगी।
 - 2.वार्षिक वेतन वृद्धि, मंहगाई भत्ता एवं मकान किराया भत्ता देय नहीं होंगे।
- 3.घर से कार्य स्थल तक आने जाने के लिए उचित एवं नियत परिवहन भत्ता देय होंगे। यह भत्ता सेवा निवृत्ति के समय दिये जाने वाली दर से अधिक नहीं होगे तथा पूरे संविदा काल के लिए नियत/अपरिवर्तनीय रहेंगे।
- 7.दैनिक भत्ता- रेल प्रशासन की आवश्यकतानुसार कार्य हेतु यात्रा किए जाने पर नियमानुसार यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता पुर्ननियोजित सेवानिवृत्त कर्मचारी को उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि को राज्य सरकार में लागू दर के अनुसार देय होगा।
- 8. छुटी की पात्रता- प्रत्येक समाप्त होने वाले माह के लिए 1.5 दिनों का सवैतनिक अवकाश प्रदान किया जाएगा। रविवार एवं राष्ट्रीय अवकाश के दिनों में छुटी की पात्रता रहेगी, तथापि उन्हें रविवार एवं राष्ट्रीय अवकाश के दिनों में भी आवश्यकता होने पर कार्य पर बुलाया जा सकता है, जिसके लिए उन्हें प्रतिपूरक अवकाश प्रदान किया जाएगा। प्रतिपूरक अवकाश केवल रेलवे के सुपरवाईजर ग्रेड से नीचे के पुर्ननियोजित कर्मचारियों को ही देय होगा।



9.सत्यनिष्ठा एवं कार्य संबंधी गोपनीयता हेतु शपथ पत्र- पुर्ननियोजित कर्मचारियों को रेलवे के साथ कार्य संबंधी गोपनीयता, नैतिकता (एथिक्स)/सत्यनिष्ठा के शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करना होगा।

10.चयन के मानदण्ड- अधिस्चना में अंकित पात्रता मापदण्ड के अनुसार प्राप्त आवेदनों में से पात्र आवेदकों की सूची तय की जाएगी। पात्र आवेदकों का फिर चयन समिति द्वारा व्यक्तिगत साक्षात्कार लिया जाएगा. जिसके आधार पर चयन सूची जारी की जाएगी। तत्पश्चात इन्हें चिकित्सा परीक्षण हेतु भेजा जाएगा।

11.चिकित्सा परीक्षण- अंतिम चयन से पूर्व आवेदकों को नामांकित रेल चिकित्सालय में C-2 श्रेणी के चिकित्सा परीक्षण हेतु भेजा जाएगा। चिकित्सा परीक्षा पास करने के उपरांत ही इन सेवानिवृत्त कर्मचारियों का पुर्ननियोजन अंतिम रूप से निर्णित होगा।

12 अन्य महत्वपूर्ण तथ्य -

1.अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों को 07 दिनों के अंदर रिपोर्ट करना होगा। निर्धारित समय सीमा के अंदर ड्यूटी ज्वाइन नहीं करने पर पुर्ननियुक्ति हेतु दूसरे अभ्यर्थी को बुलाया जाएगा।

2.अभ्यर्थी कीं पात्रता, स्वीकृति या नियुक्ति एवं चयन के तरीके जैसे सभी मुद्दों पर अंतिम निर्णय रेल प्रशासन का ही होगा।

3.चयन प्रक्रिया के दौरान साक्षात्कार आदि में शामिल होने का खर्च अभ्यर्थी को स्वयं वहन करना होगा। इस हेतु टीए/डीए आदि देय नहीं होगा।

4. पुनर्नियोजित कर्मचारी नियमित नियुक्ति/समायोजन/सेवा विस्तार का दावा नहीं कर सकता।

13.अनुबंध की समाप्ति- यद्यपि अनुबंध दोनों पक्षों में से किसी के भी द्वारा एक माह के नोटिस पर समाप्त किया जा सकता है। पुर्ननियोजित राज्य सरकार कर्मचारियों के कार्य पर नियमितरूप से निगरानी रखी जाएगी एवं जो पुर्ननियोजित कर्मचारी प्रशासन की अपेक्षाओं के अनुरूप अपने कार्यों का निर्वाह नहीं करते पाए जाएगे, उन्हें 30 दिनों का नोटिस देते हुए उनका अनुबंध निरस्त कर दिया जाएगा। तथापि आवेदक के विरूद्ध कार्य से लापरवाही /अनुशासनहीनता / दुराचार या अनियमितता पाये जाने की स्थिति में पुर्ननियोजन/अनुबंध बिना किसी पूर्व नोटिस के समाप्त किया जा सकेगा।

संलग्न-आवेदन प्रोफार्मा।

(शबाना अली खान) वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी (कैडर) प.म.रे/जबलपुर

(Notification No.01/2024/Construction)

Annexure-A

APPLICATION FORM FFOR RE-ENGAGEMENT OF RETIRED REVENUE STATE GOVERNMENT OFFICIALS FOR THE POST OF -----

1.	Name (in Block letter)	
2.	Father's Name	
3.	Community/Caste	
4.	Place and Post held at the time of Retirement	
5.	Pay Band +GP Rs. In 6 th CPC or Pay Level + Basic in 7 th CPC (At the time of retirement as applicable in State Govt.)	
6.	Last Pay Drawn	
7.	Date of Birth (DD-MM-YYYY)	
8.	Date of attaining the age of 65 Year	
9.	Date of Appointment (DD-MM-YYYY)	
10.	Mode of retirement (Superannuation/VR/Compulsory/SRRS)	
11.	Date of Retirement (DD-MM-YYYY)	
12.	PPO NO./Service Certificate	
13.	Basic Pension Sanctioned	
14.	Educational Qualification	
15.	Have you ever been arrested/Prosecuted (Yes/No)	
16.	Have you ever Convicted by a Court of Law for any Offence (Yes/No)	
17.	Any Case Pending or Penalty Under D&AR/Vig. At time of Retirement	

18.	AADHAR No. (Copy Enclosed)	
19.	PAN No. (Copy Enclosed)	
20.	Residential Address (Full With Pin Code)	
21.	A) Mobile No.	
	B) Alternate Mobile No./Whatsapp No.	
22.	E-Mail Id	

Note: If Reply to any of the Item No. 15, 16, 17 is Yes, then details thereof may be provided.

DECLARATION

1.	The undersigned do hereby solemnly affirm and declare that the particulars furnished
	above are true and correct to the best of my knowledge. I shall be responsible for
	submission of any wrong and/or incorrect information and that my engagement may be
	terminated in this reference.
2.	I am willing for Re-engagement subject to the terms and conditions enumerated in this
	notification/extant rules and as modified by Administration from time to time.
3.	I understand that the Re-engagement can be terminated by giving one month's notice
	without any explanation or any reason.

Place	•••
Date	••

(Signature and Name of the Retired Employee)

(Notification No.01/2024/Construction)

Annexure-B

WORKING EXPERIENCE

A) Details of post held by the applicant during the last 10 years prior to retirement in chronological order. Enclose a separate sheet duly authenticated by your signature if the space below is insufficient:

Sr. No.	Pay Level/ Scale	Designation	Ministry	Departmen t & Office	Place	Tenure	Nature of duties highlighting the experience required for the post applied
1	2	3	4	5	6	7	8

or engionity	(Enclose a separa	ate sheet if the sp	ace provided is		
	ndicate any Award		ciation received	(Enclose a separate	sheet if
			eciation received	(Enclose a separate	sheet if
			eciation received	(Enclose a separate	sheet if
			eciation received	(Enclose a separate	sheet if

Signature of the applicant.....

(Notification No.01/2024/Construction)

Annexure-C

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

It is Certified That Shri/Smt./Kumari
on/ Wife/ Daughter of Shri was working in this
Organization/Department and retired from the post of on
Date) to the best of my knowledge and belief. He/She bears
eputable character and his/her integrity is beyond doubt, He/She has no
ntecedents which may render him/her unsuitable for reengagement in Govt Deptt.
hri/Smt./Kumari is not related to me.
in it is not related to me.
lace
14
ate
Signature
Designation
Seal

(Notification No.01/2024/Construction)

Annexure-D

CHECK LIST OF DOCUMENTS TO BE ENCLOSED ALONGWITH APPLICATION

Sr.No	Documents Enclosed	Yes/No	
1.	Last Pay Slip		
2.	Copy of Pension Payment Order		
3.	Aadhar Card		
4.	PAN Card		
5.	Service Certificate		
6.	Pensioners Identity Card		
7.	NOC from current Employer (If Applicable)		
8.	Cancelled Cheque		
9.	Integrity Certificate/ APAR with integrity Endorsement		

Signature of Applicant.	

Date.....